

पर्या डिक्री  
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) एवं सहायक कलक्टर टिब्बी,  
जिला हनुमानगढ़

पीठारसीन अधिकारी :- श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

नो 183/2025

राजीव कुमार पुत्र फगुराम जाति अहीर (यादव) निवासी सिलवाला कलां तहसील टिब्बी जिला  
हनुमानगढ़ ।

वादी

बनाम्

जगरूप ( फगुराम) पुत्र भालाराम जाति अहीर (यादव) निवासी सिलवाला कलां तहसील टिब्बी  
जिला हनुमानगढ़ ।

कौडी देवी पुत्री जगरूप ( फगुराम ) पत्नी लालचन्द जाति अहीर (यादव) निवासी हीरावाली  
तहसील अबोहर जिला फाजिल्का ।

परमा देवी पुत्री जगरूप ( फगुराम) पत्नी लालचन्द जाति अहीर (यादव) निवासी हीरावाली  
तहसील अबोहर जिला फाजिल्का

प्रतिवादीगण

डिक्री

दिनांक 13/6/25

प्राज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर टिब्बी के समक्ष  
वकील वादी श्री सुभाष गर्ग व प्रतिवादी वकील करनैलसिंह अंतिम निपटारे/निर्णय हेतु प्रस्तुत  
होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादी की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण  
वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है चकनं० 644 आर.डी. के  
खाता सं० 97/83 में कुल .506 है० में से 1/3 हिस्सा तथा इसी चक के खाता सं० 53/48  
में कुल .506 है० में से 1/3 हिस्सा आराजी का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया  
जाकर चक नं० 644 आर.डी. के खाता सं० 97/83 में से जगरूप व इसी चक के खाता 53/48  
में से जगरूपराम का नाम कलमजान किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार राजस्व  
टिब्बी को निर्देशित किया जाता है कि यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद  
तथा किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल  
दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्या डिक्री आज दिनांक 13/6/25 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी



(सत्यनारायण R.A.S.)  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
एवं सहायक कलक्टर टिब्बी।